

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 69/2009

उनवान

दिनेशचन्द पुत्र गोपालचन्द कुमावत नि० श्रीनगर तह० नसीराबाद  
-- वादी :- जरिये अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. मंगल सिंह पुत्र धरम सिंह जाति-रावत नि० श्रीनगर हाल नि० पर्वतपुरा ( बिस्कुट फ़ैक्ट्री के पास ) अजमेर (फ़ौत) जरिये वारिस
- 1/1. महावीर सिंह
- 1/2. दुर्गेश सिंह
- 1/3. अनीता
- 1/4. कान्ता पि० मंगल सिंह जाति रावत निवासी रावत मौहल्ला खेडा श्रीनगर
2. विजय सिंह पुत्र बीरम सिंह जाति- रावत नि० पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह० नसीराबाद
3. कमला पुत्री बीरम सिंह पत्नी नानू पुत्र श्रीकिशना जाति-रावत नि० अनेरी तह० नसीराबाद
4. जय सिंह पुत्र धरम सिंह जाति- रावत नि० पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह० नसीराबाद
5. सुनिता पुत्री राम सिंह जाति- रावत नि० पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह० नसीराबाद
6. सावर सिंह पुत्र राम सिंह जाति- रावत ना०बा० जरिये बहिन सुनिता पुत्री राम सिंह जाति- रावत नि० पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह० नसीराबाद
7. नौरत सिंह पुत्र धरम सिंह जाति- रावत नि० पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह० नसीराबाद
8. मोहनलाल पुत्र लादूराम जाति- माली नि० कुमावत मौहल्ला श्रीनगर तह० नसीराबाद
9. राज० सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद  
-- प्रतिवादीगण :- 1 से 8 अनुपस्थित  
9 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 रा० का० अधि० 1955

-: निर्णय :-

दिनांक :- 29/5/14

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, के न्यायालय से इन निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते निर्णय पारित करें। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीनगर के आ

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद ( अजमेर )

ख0न0 3870 (0.18), 3909 (0.42), 3910 (0.20) व 3911 (0.23) की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वादी में वादी ने मूल खातेदार का 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया था। जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जा चुका है। उक्त आराजी अविभाजित है। अतः वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से का विभाजन वादी के पक्ष में किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब को प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का जवाब माना जावे। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हजारी पुत्र काना ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी 1 व 2 के पूर्वजों को बैचान कर दी थी। वादी ने धोखाधड़ी व छल कपट से विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संयुक्त रूप से काबिज काशत है जिसकी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से 2065 प्रस्तुत की जा रही है। मोहनलाल के विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद श्रीमान् सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड में विचाराधीन है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 8 अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में नवीन जवाब/खण्डन नही होने के कारण पूर्व अनुसार ही तनकी कायम रखी गयी :-

1. आया वादी विवादित भूमि जो वाद के मद स. 1 में दर्शायी भूमि का कानूनी विभाजन करवाने का अधिकारी है ?  
-- वादी
2. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वांछित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?  
-- वादी
3. आया हजारी पुत्र काना ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी 1 व 2 के पूर्वजों को बैचान कर दी ?  
-- प्रतिवादी 1 व 2
4. आया वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काशत है ?  
-- प्रतिवादी 1 व 2
5. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 6 राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र प्रस्तुत किये एवं वादी के मौखिक बयान दर्ज कराये।

अधिवक्ता प्रतिवादी 3 से 7 ने पक्षकार से सम्पर्क नही होने के कारण साक्ष्य पेश नही की। प्रकरण विचारण के दौरान उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

प्रदर्श 1 हाल जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 4, 7, 8 वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार दर्ज है। वादी ने उक्त आराजी हजारी पि0 काना के वारिसों से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी। हजारी पि0 काना का उक्त आराजी

पर 1/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी 8 ने उक्त आराजी में से बीरम व राम सिंह प्रत्येक का 3/20 हिस्सा क़य किया था। वादी व प्रतिवादी 8 का विक्रय पत्र आदिनांक तक निरस्त नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काशत नहीं है किन्तु सहखातेदारी की आराजी पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। पत्रावली पुनः रिमाण्ड होने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा कोई नवीन जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। वादी रेकार्डेड सह खातेदार है। जिसका अंकन जमाबंदी में हो चुका है। प्रतिवादी का स्व0 हजारी के हिस्से की आराजी पर क्या हक व अधिकार है यह तथ्य वे सिद्ध नहीं कर पाये हैं। वादी सह खातेदार होने से वादी विभाजन करवाने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी सिद्ध होती है।

तनकी संख्या 2 :-


वादी वादग्रस्त आराजी पर सह खातेदार होने से विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काशत नहीं होने से वह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। किन्तु सहखातेदारी आराजी पर प्रत्येक हिस्से पर प्रत्ये सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी सिद्ध होती है।

तनकी संख्या 3 व 4 :-

प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि हजारी पुत्र काना ने अपने हिस्से की भूमि उनको विक्रय कर दी थी। किन्तु इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई विक्रय पत्र या लिखत पेश नहीं की है। ना ही उनके द्वारा वादी के विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है। अपने जवाब के कथनों को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पर होने के बावजूद उन्होंने प्रकरण में लिखित दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जो उनके कथन की ताइद करती हो। लिखित दस्तावेज के अभाव में मौखिक साक्ष्य सत्य नहीं माने जा सकते। साथ ही वादी ने अपने वाद के समस्त कथन व तथ्य लिखित व मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किये हैं। प्रतिवादी 1 व 2 या उनके पूर्वज हजारी पुत्र काना के हिस्से की भूमि के क्रेता सिद्ध नहीं होते हैं। तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सिद्ध होती है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 3870 (0.18), 3909 (0.42), 3910 (0.20) व 3911 (0.23) की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व सह खातेदार के मध्य उक्त आराजी का विधिवत व हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इन्जाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

दिनेश बनाम मंगल

दावा वावत :- 53, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 69/2009

पेश करने की दिनांक - 16.11.11

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिनाल कलई रुबरु देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई अभिभाषक राज० पैराकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 3870 (0.18), 3909 (0.42), 3910 (0.20) व 3911 (0.23) की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व सह खातेदार के मध्य उक्त आराजी का विधिवत व हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २९ माह ५ सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	वावत् इजराय हुक्मनामा
वावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद